

पीएनबी सौर उर्जा योजना (पीएनबी सोलर एनर्जी योजना)

लक्ष्य: सौर गृह प्रकाश/सौर जल तापन प्रणाली की खरीद के लिए किसानों को वित्त पोषण।

उद्देश्य: सौर गृह प्रकाश / सौर जल तापन प्रणाली की खरीद।

पात्रता: लघु कृषक/सीमांत किसानों/ फसल साझेदार/ काश्तकार/अन्य किसानों और कृषि उद्यमियों, इस योजना के तहत पात्र होंगे।

ऋण की सीमा: रुपये 50,000/- की अधिकतम सीमा के साथ आवश्यकता आधारित।

ऋण की अदायगी: वार्षिक/अर्ध-वार्षिक किश्तों में 5 साल।